
The Apprentices Act, 1961
(Act No. 52 of 1961)

शिक्षु अधिनियम, 1961
(1961 का अधिनियम संख्यांक 52)

शिक्षु अधिनियम, 1961

धाराओं का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धाराएं	पृष्ठ
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना।	32
2. परिभाषाएं	32
अध्याय 2	
शिक्षु और उनका प्रशिक्षण	
3. शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए अहंताएं	34
3क. अभिहित व्यवसायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण स्थानों का आरक्षण	35
4. शिक्षुता-संविदा	35
5. शिक्षुता-संविदा का नवीनीकन	35
6. शिक्षुता-प्रशिक्षण की कालावधि	35
7. शिक्षुता-संविदा का पर्यवेक्षण	36
8. अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या	36
9. शिक्षुओं का व्यावहारिक एवं बृनियादी प्रशिक्षण	38
10. शिक्षुओं का संबंधित शिक्षण	39
11. नियोजकों की वाध्यताएं	40
12. शिक्षुओं की वाध्यताएं	40
13. शिक्षुओं को संदाय	40
14. शिक्षुओं का स्वास्थ्य, द्वेष और कल्याण	41
15. काम के घंटे, अविकाल, छुट्टी और अवकाश-दिन	41
16. क्षति के प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व	41
17. आचरण और अनुशासन	41
18. शिक्षु प्रशिक्षणार्थी हैं, न कि कर्मकार	41
19. अभिलेख और विवरणिया	41
20. विवादों का निपटारा	41
21. परीक्षण का किया जाना और प्रमाणपत्र का अनुदान तथा प्रशिक्षण की समर्पित	41
22. नियोजन की प्रस्थापना और प्रतिप्रहण	42

अध्याय 3

प्राधिकारी

23. प्राधिकारी	42
----------------	----

24. परिधियों का मठन	43
25. काथों और कार्यवाहियों को रिक्वित्या अविधिमान्य नहीं बनाएंगी	44
26. शिक्षा सलाहकार	44
27. उप और सहायक शिक्षा सलाहकार	44
28. शिक्षा सलाहकारों का लोक सेवक होना	44
29. प्रबोध, निरीक्षण आदि की शक्तियां	44
30. अपराध और शास्त्रिया	45
31. जहां कि कोई विनिर्दिष्ट शास्त्र उपर्याप्त नहीं है, वहां शास्त्र	45
32. कामनियों द्वारा अपराध	45
33. अपराधों का संज्ञान	46
34. शिक्षियों का प्रत्यायोजन	46
35. निर्देशों का अर्थान्वयन	46
36. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परिचाण	46
37. नियम अनाने की शक्ति	46
38. [निरसित ।] अनुसूची [मुद्रित नहीं की गई है].	47

शिक्षा अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 52)

[12 दिसम्बर, 1961]

**** शिक्षुओं के प्रशिक्षण के विनियमन और नियंत्रण का
तथा तत्संसदत्व विधयों का उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय ।

प्रारम्भिक

1. (1) संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना—यह अधिनियम शिक्षा अधिनियम, 1961 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है 2***।

(3) यह उस तारीख³ को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

(4) इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

(क) कोई क्षेत्र या किसी क्षेत्र में कोई उद्योग, जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र या उद्योग को ऐसे क्षेत्र या उद्योग के रूप में विनिर्दिष्ट न करे, जिसको उक्त उपबन्ध उस तारीख से, जो उस अधिसूचना में वर्णित हो, लागू होगे;

4* * * * *

5[(ग) शिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी कोई विशेष शिक्षाता स्कूल, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए।]

2. परिचालना—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

6[(क) “अखिल भारतीय परिषद्” से भारत सरकार के पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्रालय के तारीख 30 नवम्बर, 1945 के संकल्प संदर्भ एफ० 16-10/44-ई० III द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;]

7[(कक) “शिक्षा” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी शिक्षाता संविदा के अनुसरण में 8*** शिक्षाता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है;

6[(कक) “शिक्षाता प्रशिक्षण” से किसी शिक्षाता संविदा के अनुसरण में और विहित निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन, जो विभिन्न प्रवार्गों के शिक्षुओं के लिए विभिन्न हो सकेंगी, किसी उद्योग या स्थापन में पूरा किया गया प्रशिक्षण क्रम अभिप्रेत है;]

(छ) “शिक्षाता सलाहकार” से धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया केन्द्रीय शिक्षाता सलाहकार या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया राज्य शिक्षाता सलाहकार अभिप्रेत है;

(ग) “शिक्षाता परिषद्” से धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्रीय शिक्षाता परिषद् या राज्य शिक्षाता परिषद् अभिप्रेत है;

- 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 2 द्वारा (1-12-1974 से) “व्यवसायों में” शब्दों का लोप किया गया।
- 1968 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-8-1968 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।
3. मार्च, 1962, देखिए अधिसूचना सं. साठ का निः 246, तारीख 12 फरवरी, 1962, भारत का राजपत्र, (अंग्रेजी) 1962, भाग 2, अनुवाद 3 (i), पृ. 218।
4. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 3 द्वारा (1-12-1974 से) छंड ख का लोप किया गया।
5. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 3 द्वारा (1-12-1974 से) छंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 4 द्वारा (1-12-1974 से) अन्तःस्थापित।
7. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 4 द्वारा (1-12-1974 से) छंड (क) को छंड (क) के रूप में पुनःशक्तिप्रिय किया गया।
8. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 4 द्वारा (1-12-1974 से) “केन्द्रीय अधिवित व्यवसायों में” लोप किया गया।

(अध्याय 1—प्रारंभिक ।)

(घ) "समुचित सरकार" से—

(1) निम्नलिखित के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है—

(क) केन्द्रीय शिक्षा परिषद्, अथवा

¹[(कक) प्रादेशिक बोर्ड, अथवा

(कक) स्नातक या तकनीकी शिक्षाओं का या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण, अथवा]:

(घ) किसी रेल, महापत्तन, खान या टेल-क्षेत्र का कोई स्थापन, अथवा

(ग) कोई स्थापन, जो निम्नलिखित के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध में है—

(i) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग;

(ii) कोई कंपनी, जिसकी अंशपूँजी का 51 प्रतिशत से अन्यतून केन्द्रीय सरकार द्वारा या भागतः उस सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है;

(iii) केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किया गया कोई निगम (जिसके अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी आती है) जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध में है।

(2) निम्नलिखित के सम्बन्ध में राज्य सरकार अभिप्रेत है—

(क) राज्य शिक्षा परिषद्, अथवा

(घ) इस खंड के उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट स्थापनों से भिन्न कोई स्थापन;

²[(घघ) "राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड अभिप्रेत है;]

(ड) "अभिहित व्यवसाय" से ³[वह कोई व्यवसाय या उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी का कोई विषय क्षेत्र ⁴[या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम] अभिप्रेत है] जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षा परिषद् से परामर्श के पश्चात्, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट करें;

(च) "नियोजक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी स्थापन में परिश्रमिक पर कोइ काम करने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्तियों को नियोजित करता है और इसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, जिसे ऐसे स्थापन में के कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण न्यस्त किया गया हो;

(छ) "स्थापन" के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थापन आता है, जहाँ कोई उद्योग चलाया जाता है; ⁵[और जहाँ कोई स्थापन विभिन्न विभागों से मिलकर बना है या उसकी कई शाखाएं हैं, चाहे वे एक ही स्थान में या विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, वहाँ ऐसे सभी विभागों या शाखाओं को उस स्थापन का भाग समझा जाएगा];

(ज) "प्राइवेट सैक्टर में का स्थापन" से वह स्थापन अभिप्रेत है, जो प्रिलिक सैक्टर में का स्थापन नहीं है;

(झ) "प्रिलिक सैक्टर में का स्थापन" से वह स्थापन अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध में है—

(1) सरकार या सरकार का कोई विभाग;

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभायित सरकारी कंपनी;

(3) किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किया गया कोई निगम (जिसके अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी आती है), जो सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध में है;

1. 1986 के व्यधिनियम सं. 41 की धारा 2 द्वारा (16-12-1987 से) मद (कक) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1973 के व्यधिनियम सं. 27 की धारा 4 द्वारा (1-12-1974 से) अंतरःस्थापित।

3. 1973 के व्यधिनियम सं. 27 की धारा 4 द्वारा (1-12-1974 से) क्रियापूर्ण शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. 1986 के व्यधिनियम सं. 41 की धारा 2 द्वारा (16-12-1987 से) अंतरःस्थापित।

(अध्याय 1—प्रारंभिक। अध्याय 2—शिक्षा और उनका प्रशिक्षण।)

(4) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

1[(ज) “स्नातक या तकनीकी शिक्षा” से ऐसा शिक्षा अभिप्रेत है, जिसके पास सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की उपाधि या हिप्लोमा या समतुल्य अर्डता है या जो उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और जो इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के किसी ऐसे विषय-क्षेत्र में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो विहित किया जाए;]

(ट) “उद्योग” से ऐसा उद्योग या कारोबार अभिप्रेत है, जिसमें कोई व्यवसाय, उपर्जीविका अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी का कोई विषय-क्षेत्र [या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम] अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट हो;]

(ठ) “राष्ट्रीय परिषद्” से तारीख 12 अगस्त, 1956 के भारत सरकार के ग्रम मंत्रालय (पुनर्बास और नियोजन महानिदेशक का कार्यालय) के संकल्प संघटा टी० आर०/ई०पी०-24/56 द्वारा स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् अभिप्रेत है [जो भारत सरकार के ग्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) के तारीख 30 सितम्बर, 1981 के संकल्प सं० डी०जी०ई०टी०/12/21/80-टी०सी० द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के रूप में पुनःनामित की गई है।]

(ड) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

3[(डड) “प्रादेशिक बोर्ड” से ऐसा शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड अभिप्रेत है, जो मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास या कानपुर में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;]

(ढ) “राज्य” के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र आता है;

(ण) “राज्य परिषद्” से राज्य सरकार द्वारा स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण की परिषद् अभिप्रेत है;

(र) “राज्य सरकार” से संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

2[(तत) “तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षा” से कोई ऐसा शिक्षा अभिप्रेत है, जिसके पास ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम का, जिसके लिए अधिल भारतीय परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर के पूरा करने के पश्चात् दो वर्ष का अध्ययन करना होता है, प्रमाणपत्र है या जो उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और जो किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी ऐसे विषय-क्षेत्र में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो विहित किया जाए;];

3[(थ) “व्यवसाय शिक्षा” से कोई शिक्षा अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे व्यवसाय या ऐसी उपर्जीविका में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो विहित की जाए;];

4[(द) “कर्मकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रकार के काम में मजदूरी पर नियोजित किया जाता है और जो अपनी मजदूरी सीधे नियोजक से प्राप्त करता है, किन्तु उसके अन्तर्गत खण्ड (कक्ष) में निर्दिष्ट शिक्षा नहीं है।]

अध्याय 2

शिक्षा और उनका प्रशिक्षण

3. शिक्षा के रूप में रहो जाने के लिए अर्हताएं—कोई व्यक्ति किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षा के रूप में तब के सिवाय रहा नहीं जाएगा, जब कि वह—

(क) चौदह वर्ष से कम आयु का न हो; तथा

(ख) शिक्षा और शारीरिक योग्यता के ऐसे स्तरमानों की तुष्टि कर दे, जो विहित किए जाएं;

परन्तु विभिन्न अभिहित व्यवसायों में शिक्षुता प्रशिक्षण के संबंध में [और विभिन्न प्रवर्गों के शिक्षुओं के लिए] विभिन्न स्तरमान विहित किए जा सकेंगे।

1. 1973 के अधिनियम सं० 27 की धारा 4 द्वारा (1-12-1974 से) खंड (ज) और (ट) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1986 के अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (16-12-1987 से) अंतःस्थापित।

3. 1973 के अधिनियम सं० 27 की धारा 4 द्वारा (1-12-1974 से) अंतःस्थापित।

(अध्याय 2—शिक्षा और उनका प्रशिक्षण ।)

१[३क. अभिहित व्यवसायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण स्थानों का आरक्षण—(१) प्रत्येक अभिहित व्यवसाय में नियोजक द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण स्थान आरक्षित किए जाएंगे २[और जहाँ किसी स्थापन में एक से अधिक अभिहित व्यवसाय है वहाँ ऐसे प्रशिक्षण स्थान भी, ऐसे स्थापन में सभी अभिहित व्यवसायों में शिक्षुओं की कुल संख्या के आधार पर आरक्षित किए जाएंगे]।

(२) उपधारा (१) के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षण स्थानों की संख्या इतनी होगी, जितनी सम्बद्ध राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विद्वित की जाए।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” पदों के वही अर्थ हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के छण्ड (२४) और (२५) में हैं।]

३[४. शिक्षुता-संविदा—(१) कोई भी व्यक्ति किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षु के रूप में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक उसने या यदि वह अवयस्क हो, तो उसके संरक्षक ने नियोजक से कोई शिक्षुता-संविदा न कर ली हो।

(२) शिक्षुता प्रशिक्षण उस तारीख को प्रारम्भ हुआ समझा जाएगा, जिस तारीख को उपधारा (१) के अधीन शिक्षुता-संविदा की गई है।

(३) हर शिक्षुता-संविदा में ऐसे निबंधन और शर्तें हो सकती हैं, जिन पर संविदा के पक्षकार सहमत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी निबंधन या शर्त इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध से असंगत नहीं होगी।

(४) उपधारा (१) के अधीन की गई हर शिक्षुता-संविदा नियोजक द्वारा इतनी अवधि के भीतर, जितनी विद्वित की जाए, शिक्षुता सलाहकार के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजी जाएगी।

(५) शिक्षुता सलाहकार किसी शिक्षुता-संविदा को तब तक रजिस्टर नहीं करेगा, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि संविदा में शिक्षु के रूप में उल्लिखित व्यक्ति संविदा में विनिर्दिष्ट अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए इस अधिनियम के अधीन अर्द्धित है।

(६) जब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श के पश्चात किसी प्रवार्ग के शिक्षुओं की, जो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों, शिक्षुता प्रशिक्षण के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन करने वाला कोई नियम बनाए, तब हर शिक्षुता-संविदा के, जो उस प्रवार्ग के शिक्षुओं से संबंधित हों और जो ऐसे नियम बनाए जाने से ठीक पूर्व विद्यमान हो, निबंधन और शर्तें तदनुसार परिवर्तित हुई समझी जाएंगी।]

५. शिक्षुता-संविदा का नवीयन—जहाँ कि कोई नियोजक, जिसके साथ शिक्षुता-संविदा की गई हो, उस संविदा के अधीन की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए किसी कारणवश असमर्थ हो और शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन से नियोजक, शिक्षु या उसके संरक्षक, तथा किसी अन्य नियोजक के बीच यह करार हो जाए कि शिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि के अन्वयित भाग के लिए उस अन्य नियोजक के अधीन शिक्षु रूप में रखा जाएगा, वहाँ वह करार, शिक्षुता सलाहकार के यहाँ उसका रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर, उस शिक्षु या उसके संरक्षक तथा उस अन्य नियोजक के बीच शिक्षुता-संविदा तदनुसार जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख को और से प्रथम नियोजक से की गई शिक्षुता-संविदा पर्यवसित हो जाएगी और उस संविदा के अधीन की कोई भी बाध्यता संविदा के किसी पक्षकार की घोषणा पर उसके द्वारा पक्षकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगी।

६. शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि—शिक्षुता प्रशिक्षण श्री कालावधि, जो शिक्षुता-संविदा में विनिर्दिष्ट की जाएगी, निम्नलिखित होगी:—

(क) ऐसे ४[व्यवसाय शिक्षुओं] की दशा में, जो राष्ट्रीय परिषद से मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय या अन्य संस्था से

१. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा ६ द्वारा (1-12-1974 से) अन्तःस्थापित।

२. 1986 के अधिनियम सं. 41 की धारा ४ द्वारा (16-12-1987 से) अन्तःस्थापित।

(अध्याय 2—शिक्षा और उनका प्रशिक्षण।)

संस्थानत प्रशिक्षण प्राप्त करके उस परिषद् द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण¹ [या परीक्षा] में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि उतनी होगी, जितनी² [उस परिषद् या उस परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी संस्था] द्वारा अवधारित की जाए;

³[(क) ऐसे व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में, जो राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड से या किसी अन्य प्राधिकरण से, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय या अन्य संस्था में संस्थानत प्रशिक्षण प्राप्त करके उस बोर्ड या राज्य परिषद् या प्राधिकरण द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण¹ [या परीक्षा] में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि उतनी होगी, जितनी विहित की जाए;]

(छ) अन्य⁴ [व्यवसाय शिक्षुओं] की दशा में शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि उतनी होगी, जितनी विहित की जाए:

³[(ग) स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं⁵ [तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं] की दशा में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि उतनी होगी, जितनी विहित की जाए।]

7. शिक्षुता-संविदा का पर्यवसान—(1) शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि के अवसान पर, शिक्षुता-संविदा पर्यवसित हो जाएगी।

(2) शिक्षुता-संविदा का कोई पक्षकार शिक्षुता सलाहकार से उस संविदा के पर्यवसान के लिए आवेदन कर सकेगा और जब ऐसा आवेदन किया जाए, तो उसकी एक प्रतिलिपि संविदा के दूसरे पक्षकार को दाक से भेजेगा।

(3) आवेदन की अंतर्वस्तु और दूसरे पक्षकार द्वारा फार्मला किए गए आशेषों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् शिक्षुता सलाहकार, यदि उसका समाधान हो जाए कि संविदा के पक्षकार या उनमें से कोई संविदा के नियन्त्रणों और शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं या रहा है और यह कि पक्षकारों के या उनमें से किसी के हित में यह वांछनीय है कि संविदा को पर्यवसित किया जाए, तो लिखित आदेश द्वारा संविदा को पर्यवसित कर सकेगा :

परन्तु जहाँ कि संविदा—

(क) संविदा के नियन्त्रणों और शर्तों का पालन करने में नियोजक एवं असफलता के कारण पर्यवसित की जाए, वहाँ नियोजक शिक्षुओं को ऐसा प्रतिकर देगा, जो विहित किया जाए;

(छ) शिक्षा की ऐसी असफलता के कारण पर्यवसित की जाए, वहाँ शिक्षा या उसका संरक्षक प्रशिक्षण के खर्च के रूप में नियोजक को उतनी रकम वापस करेगा, जितनी शिक्षुता सलाहकार द्वारा अवधारित की जाए।

⁶[(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी चत के होते हुए भी, जहाँ किसी शिक्षुता संविदा का शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के अवसान के पूर्व शिक्षुता-सलाहकार द्वारा पर्यवसान कर दिया गया है और किसी नए नियोजक से कोई नई शिक्षुता-संविदा की जा रही है, वहाँ शिक्षुता सलाहकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पूर्यतन नियोजक से की गई शिक्षुता-संविदा का पूर्यतन नियोजक की किसी चूक के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। पूर्यतन नियोजक से शिक्षु द्वारा पढ़ले ही प्राप्त किए गए शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को नए नियोजक से लिए जाने वाले शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि में समिलित किए जाने की अनुमति दे सकेगा।]

8. अभिनियम व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या—⁷[(1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, हर अभिनियम व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय के लाकुशल कर्मकारों से मिन्न कर्मकारों से व्यवसाय शिक्षुओं का अनुपात, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, अवधारित करेगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई आत किसी नियोजक को इस उपधारा के अधीन अवधारित अनुपात से अधिक संख्या में व्यवसाय-शिक्षा रखने से नियारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

1. 1986 के अधिनियम सं. 41 की थारा 5 बारा (16-12-1987 से) अन्तःस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं. 27 की थारा 8 बारा (1-12-1974 से) “उस परिषद्” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1973 के अधिनियम सं. 27 की थारा 8 बारा (1-12-1974 से) अन्तःस्थापित।

4. 1973 के अधिनियम सं. 27 की थारा 8 बारा (1-12-1974 से) “शिक्षा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 2—शिक्षा और उनका प्रशिक्षण।)

(7) कोई भी नियोजक, जो उपधारा (6) के अधीन के शिक्षुता सलाहकार के विनिश्चय से संतुष्ट न हो, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् को निर्देश कर सकेगा और वह निर्देश उस परिषद् द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई उसकी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उस समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

9. शिक्षुओं का व्यावहारिक एवं बुनियादी प्रशिक्षण—(1) हर नियोजक शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अपने द्वारा रखे गए हर शिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण क्रम का अनुसरण कराने के लिए उपयुक्त इंतजाम अपनी कर्मशाला में करेगा।

(2) 1[केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार को या केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, जो पवित्र में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो] ऐसे हर एक शिक्षु तक पहुंच की सब युक्तियुक्त सुविधाएँ दी जाएंगी, जिससे कि वह उसके काम का परीक्षण कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि व्यावहारिक प्रशिक्षण अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार दिया जा रहा है :

परन्तु जिन स्थापनों के संबंध में समुचित सरकार राज्य सरकार है उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं के बारे में ऐसी सुविधाएँ 2[राज्य शिक्षुता सलाहकार को या राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, जो पवित्र में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो] भी दी जाएंगी।

3[(3) वे व्यवसाय-शिक्षु, जिन्होंने राष्ट्रीय परिषद् से मान्यताप्राप्त विद्यालय या अन्य संस्था में अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण से, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कर्मशाला में प्रवेश के पूर्व, एक बुनियादी प्रशिक्षणक्रम पूरा करेंगे।]

(4) जहाँ कि कोई नियोजक अपने स्थापन में पांच सौ या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है, वहाँ 4[व्यवसाय शिक्षुओं] को बुनियादी प्रशिक्षण या तो कर्मशाला-भवन में अलग-अलग भागों में दिया जाएगा या एक अलग भवन में दिया जाएंगा, जो स्थाय नियोजक द्वारा स्थापित किया जाएगा; किन्तु समुचित सरकार ऐसे अलग भवन की भूमि, सनिमणि और उपस्कर के स्वर्त्त को पूरा करने के लिए नियोजक को सरल निवन्धनों पर और सरल किस्तों में प्रतिसंवेद्य उधार दे सकेंगी।

5[(4क) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी ऐसे स्थापन में, जिसमें पांच सौ या अधिक कर्मकार नियोजित हैं: किसी समय प्रशिक्षित किए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या बारह से कम हो तो ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक ऐसे सब शिक्षुओं को या उनमें से किसी को बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र में या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, जो योनों ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों, किसी अभिहित व्यवसाय में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए प्रति नियुक्त कर सकता है।

(4ख) जहाँ कोई नियोजक उपधारा (4क) के अधीन किसी शिक्षु को प्रतिनियुक्त करता है, वहाँ ऐसा नियोजक सरकार को ऐसे प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदर्य करेगा।]

(5) जहाँ कि कोई नियोजक अपने स्थापन में पांच सौ से कम कर्मकार नियोजित करता है, वहाँ 4[व्यवसाय शिक्षुओं] को बुनियादी प्रशिक्षण सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया जाएगा।

(6) ऐसी किसी प्रशिक्षण संस्था में, जो उस परिक्षेत्र के सर्वाधिक उपयुक्त स्थापन के परिसर में या किसी अन्य सुविधापूर्ण स्थान में अवस्थित होगा, बुनियादी प्रशिक्षण दो या अधिक नियोजकों द्वारा रखे गए 4[व्यवसाय शिक्षुओं] को दिया जा सकेगा।

(7) 6[किसी स्नातक या तकनीकी शिक्षा 7[तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षा] से भिन्न शिक्षा की दशा में व्यावहारिक प्रशिक्षण

1. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 10 द्वारा (1-12-1974 से) "केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 10 द्वारा (1-12-1974 से) "राज्य शिक्षुता सलाहकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 10 द्वारा (1-12-1974 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 10 द्वारा (1-12-1974 से) "शिक्षा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 2—शिक्षा और उनका प्रशिक्षण।)

का, जिसके अन्तर्गत बुनियादी प्रशिक्षण भी है, पाठ्य-विवरण] और उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपस्कर ऐसे होंगे, जैसे केन्द्रीय शिक्षा विषय परिषद के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

1[(7क) स्नातक या तकनीकी शिक्षाओं²[तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षाओं] की दशा में शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के किसी विषय क्षेत्र³[या व्यावसायिक पाठ्यक्रम] में ऐसे प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाएं ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय शिक्षा विषय परिषद के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं।]

(8) (क) धारा 6 के⁴[खण्ड (क) और (कक) में निर्दिष्ट व्यवसाय शिक्षाओं से भिन्न व्यवसाय शिक्षाओं को दिए गए बुनियादी प्रशिक्षण के संबंध में] नियोजक द्वारा उपगत किए गए आवर्ती खर्च⁵[जिनके अन्तर्गत वृत्तिकालों का खर्च आता है]—

(i) यदि ऐसा नियोजक⁶[वो सौ पचास] या अधिक कर्मकारों⁷को नियोजित करता है तो नियोजक द्वारा बहन किए जाएंगे,

(ii) यदि ऐसा नियोजक⁸[वो सौ पचास] से कम कर्मकारों को नियोजित करता है तो ग्रेटी सीमा तक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, नियोजक और सरकार द्वारा समान अंशों में बहन किए जाएंगे और उस सीमा के अपर्याप्त केवल नियोजक द्वारा बहन किए जाएंगे; तथा

(ख) धारा 6 के⁹[खण्ड (क) और (कक) में निर्दिष्ट व्यवसाय शिक्षाओं को दिए गए व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में, जिसके अन्तर्गत बुनियादी प्रशिक्षण भी है,] नियोजक द्वारा उपगत किए गए आवर्ती खर्च (जिनके अन्तर्गत वृत्तिकालों का खर्च आता है), यदि कोई हो, हर मासले में नियोजक द्वारा बहन किए जाएंगे।

1[(ग) स्नातक या तकनीकी शिक्षाओं²[तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षा] को दिए गए व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में नियोजक द्वारा किए गए आवर्ती खर्च (जिनके अन्तर्गत वृत्तिकालों का खर्च नहीं है) नियोजक द्वारा उठाए जाएंगे और वृत्तिकालों का खर्च, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत सीमा तक, केन्द्रीय सरकार और नियोजक द्वारा समान भागों में, और उक्त सीमा से आगे केवल नियोजक द्वारा उठाया जाएगा।]

10. शिक्षाओं का संबंधित शिक्षण—(1) ¹[ऐसे व्यवसाय शिक्षा को,] जो किसी स्थान में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, इस दृष्टि से कि उसे ऐसा सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाए जैसा कि कुशल शिल्पकार के रूप में पूर्णतः अर्द्धत होने के लिए²[उस व्यवसाय शिक्षा के लिए आवश्यक है,] व्यावहारिक प्रशिक्षण की कलाविधि के हौरान संबंधित शिक्षण के अन्तर्गत विषय परिषद के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक पाठ्यक्रम का (जो वह होगा, जो उस व्यवसाय के लिए समुचित हो), अनुसरण कराया जाएगा।

(2) संबंधित शिक्षण संघर्षित सरकार के सार्व पर दिया जाएगा; किन्तु नियोजक अपने से ऐसा अपेक्षा की जाने पर, ऐसा शिक्षण देने के लिए सब सुविधाएं देगा।

(3) संबंधित शिक्षण की कक्षाओं में हाजिर होने में³[व्यवसाय शिक्षा] द्वारा अतीत किया गया समय उसके काम की उस कलाविधि का भाग माना जाएगा, जिसके लिए उसे संवाद होता है।

1[(4) उन व्यवसाय शिक्षाओं की दशा में, जो संस्थागत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात, राष्ट्रीय परिषद द्वारा संचालित व्यवसाय परीक्षण में उत्तीर्ण हुए हैं या जो राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद या बोर्ड अथवा अन्य किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियमित विनिर्दिष्ट करे, संचालित व्यवसाय प्रशिक्षण और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, संबंधित शिक्षण ऐसे घटाए गए या परिवर्तित मान पर दिया जा सकेगा, जो विहित किया जाए।]

1. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 10 द्वारा (1-12-1974 से) अन्तर्धायित।

2. 1986 के अधिनियम सं. 41 की धारा 3 द्वारा (16-12-1987 से) अन्तर्धायित।

3. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 10 द्वारा (1-12-1974 से) "कलाविधि शब्दों" के स्थान पर प्रतिस्थायित।

4. 1997 के अधिनियम सं. 4 की धारा 5 द्वारा (8-1-1997 से) "कलाविधि" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थायित।

5. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 10 द्वारा (1-12-1974 से) प्रतिस्थायित।

6. 1972 के अधिनियम सं. 27 की धारा 11 द्वारा (1-12-1974 से) उपग्राम (4) के स्थान पर प्रतिस्थायित।

(अध्याय 2—शिक्षा और उनका प्रशिक्षण।)

(३) जहाँ कोई व्यवस्था, किसी तकनीकी संस्था में अपने पाठ्यक्रम के दौरान, स्नातक या [^१तकनीकी (व्यावसायिक) तकनीकी शिक्षा] बन जाता है और अपने शिक्षुता प्रशिक्षण के दौरान उसे सम्बन्धित शिक्षण लेना है, वहाँ नियोजक ऐसे व्यक्ति को उस संस्था में सम्बन्धित शिक्षण लेने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण से ऐसी कालावधि के लिए छोड़ देगा, जो केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा या केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में इस निर्मित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो पंचित में सदायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो, विनिर्दिष्ट की जाए।]

11. नियोजकों की बाध्यताएँ—इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि हर नियोजक की शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित बाध्यताएँ होंगी, अर्थात् :—

(क) शिक्षा के लिए उसके व्यवसाय में इस अधिनियम के और तदृग्भीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण का उपबंध करना;

(ख) यदि नियोजक स्वयं उस व्यवसाय में अर्हित नहीं है तो यह सुनिश्चित करना कि [^२ऐसा व्यक्ति, जिसके पास विहित अर्हताएँ हों] शिक्षु के प्रशिक्षण का भारसाधक बनाया जाए; ^३[**]

^४[(घघ) ऐसे पर्याप्त शिक्षण कर्मचारिकृत की, जिनके पास व्यावहारिक और सैद्धान्तिक प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी अर्हताएँ हों, जो विहित की जाए और शिक्षुओं के व्यवसाय परीक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना; और]

(ग) शिक्षुता-संविदा के अधीन की अपनी बाध्यताओं को निभाना।

12. शिक्षुओं की बाध्यताएँ—^५[(१)] शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे [^६हर व्यवसाय शिक्षा] की निम्नलिखित बाध्यताएँ होंगी, अर्थात् :—

(क) अपना व्यवसाय निष्ठापूर्वक और तत्परता से सीखना, तथा प्रशिक्षण की कालावधि के अवसान के पूर्व अपने को कुशल शिल्पकार के रूप में अर्हित बनाने का प्रयत्न करना;

(ख) व्यावहारिक और शैक्षणिक कक्षाओं में नियमित रूप से हाजिर होना;

(ग) अपने नियोजक के और स्थापन में अपने वरिष्ठों के सब विधिपूर्ण आदेशों का पालन करना; तथा

(घ) शिक्षुता-संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं को निभाना।

^७[(२)] शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हर स्नातक या स्नातीकी शिक्षा [^८तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षा] की निम्नलिखित बाध्यताएँ होंगी, अर्थात् :—

(क) अपने प्रशिक्षण स्थान पर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के अपने विषय-क्षेत्र [^९या व्यावसायिक पाठ्यक्रम] को निष्ठापूर्वक और तत्परता से सीखना;

(ख) व्यावहारिक और शैक्षणिक कक्षाओं में नियमित रूप से हाजिर होना;

(ग) अपने नियोजक के और स्थापन में अपने वरिष्ठों के सब विधिपूर्ण आदेशों का पालन करना;

(घ) शिक्षुता-संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं को निभाना, जिनके अन्तर्गत अपने कार्य के ऐसे अभिलेख रखना भी है, जो विहित किए जाएं।]

13. शिक्षुओं को संदाय—(१) नियोजक शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान हर शिक्षा को [^{१०}विहित न्यूनतम दर से या ऐसी दर से, जो नियोजक द्वारा ऐसे प्रवर्ग के शिक्षुओं के लिए, जिसके अधीन शिक्षा जाता है, 1970 की पहली जनवरी को संदर्भ की जा रही थी, इनमें से, जो भी अधिक हो, उससे लान्यून दर से] ऐसी वृत्तिका का संदाय करेगा, जैसी शिक्षुता-संविदा में विनिर्दिष्ट हो और ऐसे विनिर्दिष्ट वृत्तिका ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन संतत की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

1. 1986 के अधिनियम सं. 41 की धारा 3 द्वारा (16-12-1987 से) ग्रन्तःस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 12 द्वारा (1-12-1974 से) "सम्बन्धित व्यक्ति" के स्थान पर ग्रन्तःस्थापित।

3. 1997 के अधिनियम सं. 4 की धारा 6 द्वारा (8-1-1997 से) "बाहर" शब्दों का लोप किया गया।

4. 1997 के अधिनियम सं. 4 की धारा 6 द्वारा (8-1-1997 से) ग्रन्तःस्थापित।

5. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 13 द्वारा (1-12-1974 से) धारा 12 को उसकी उपग्राहा (१) के रूप में पुनःसंरचित किया गया।

6. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 13 द्वारा (1-12-1974 से) धारा 12 को उसकी उपग्राहा (१) के रूप में पुनःसंरचित किया गया।

(अध्याय 2—शिक्षा और उनका प्रशिक्षण।)

1[(2) शिक्षा को उसके नियोजक द्वारा न तो किसी मान्त्रानुपाती काम के आधार पर संदाय किया जाएगा और न किसी उत्पादन बोनस या अन्य प्रोत्साहन स्कीम में भाग होने की उससे अपेक्षा की जाएगी।]

14. शिक्षाओं का स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण—जहाँ कि कोई शिक्षा किसी कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वहाँ कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अध्यायों 3, 4 और 5 के उपबन्ध शिक्षाओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के सम्बन्ध में ऐसे लागू होंगे मानो वे उस अधिनियम के अर्थ के अंतर कर्मकार हों और जब कि कोई शिक्षा किसी खान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तब खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अध्याय 5 के उपबन्ध शिक्षाओं के स्वास्थ्य और क्षेम के सम्बन्ध में ऐसे लागू होंगे मानो वे खान में नियोजित व्यक्ति हों।

15. काम के घंटे, अतिकाल, छुटटी और अवकाश दिन—(1) जब कोई शिक्षा किसी कर्मशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसके साक्षात्कार और दैनिक काम के घंटे ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएं।

(2) शिक्षा सलाहकार के अनुमोदन के बिना अतिकालिक काम किसी भी शिक्षा से न तो अपेक्षित किया जाएगा और न उसे करने दिया जाएगा और शिक्षा सलाहकार ऐसा अनुमोदन तब तक अनुदत न करेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि ऐसा अतिकालिक काम शिक्षा के प्रशिक्षण के लित में है या लोक नित में है।

(3) शिक्षा ऐसी छुटटी का, जैसी विहित की जाए और ऐसे अवकाश दिनों का, जो उस स्थापन में, जिसमें वह काम कर रहा है, मनाए जाते हैं, हकदार होगा।

16. क्षति के प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व—यदि शिक्षा के रूप में उसके प्रशिक्षण से और उसके अनुक्रम में उद्भूत होने वाली किसी दुर्घटना से किसी शिक्षा को द्वारा शारीरिक क्षति कारित हो जाती है, तो उसका नियोजक ऐसा प्रतिकर देने का तारी होगा, जिसका अवधारण और संदाय यावनशक्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अध्यर्थीन रहते हुए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

17. आचरण और अनुशासन—आचरण और अनुशासन के सब मामलों में शिक्षा उन नियमों और विनियमों से शासित होगा, जो उस स्थापन में, जिसमें शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो² [तत्समान प्रवर्ग के कर्मचारियों को लागू होते हैं।]

18. शिक्षा प्रशिक्षणार्थी है, न कि कर्मकार—उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा उपलब्धित है—

(क) किसी स्थापन में किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा शिक्षा प्रशिक्षणार्थी होगा, न कि कर्मकार; तथा

(ख) श्रम विधयक किसी विधि के उपबन्ध ऐसे शिक्षा को या के संबंध में लागू न होंगे।

19. अभिलोभ और विवरणियाँ—(1) हर नियोजक हर एक ऐसे शिक्षा के, जो उसके स्थापन से शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है प्रशिक्षण की प्रगति के अभिलोभ ऐसे प्ररूप में रहेगा, जैसा विहित किया जाए।

(2) हर ऐसा नियोजक ऐसी जानकारी और विवरणियाँ ऐसे प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे अंतरालों पर देगा, जैसे विहित किए जाएँ।

20. विवादों का निपटारा—(1) शिक्षा-संविदा से पैदा होने वाला नियोजक और शिक्षा के बीच का कोई भी मतभेद या विवाद विनिश्चय के लिए शिक्षा सलाहकार को निर्देशित किया जाएगा।

(2) शिक्षा सलाहकार के उपधारा (1) के अधीन के विनिश्चय से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ऐसा विनिश्चय अपने को संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर शिक्षा परिषद् को ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील कर सकेगा और ऐसी अपील उस परिषद् की इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई एक समिति द्वारा मुनी और अवधारित की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन की समिति का विनिश्चय, और केवल ऐसे विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए शिक्षा सलाहकार का उपधारा (1) के अधीन का विनिश्चय अंतिम होगा।

21. परीक्षण का किया जाना और प्रमाणपत्र का अनुदान तथा प्रशिक्षण की समाप्ति—(1) हर ³ [व्यवसाय

1. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 14 द्वारा (1-12-1974 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 15 द्वारा (1-12-1974 से) “ऐसे व्यवसाय में के कर्मकारों को लागू होते हों” के स्थान पर

(अध्याय 2—शिक्षा और उनका प्रशिक्षण। अध्याय 3—प्राधिकारी।)

शिक्षा] जिसने प्रशिक्षण की कालावधि पूरी कर ली है उस अभिहित व्यवसाय में, जिसमें¹ [उसने शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है], उसकी प्रवीणता अवधारित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् द्वारा संचालित किए जाने वाले परीक्षण में बैठेगा।

(2) द्वारा² [व्यवसाय शिक्षा] को, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट परीक्षण में उत्तीर्ण होगा, उस व्यवसाय में प्रवीणता का प्रमाणपत्र राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अनुदत्त किया जाएगा।

³[(3) हर स्नातक या तकनीकी शिक्षा⁴ [तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षा] की शिक्षुता प्रशिक्षण में प्राप्ति समय-समय पर नियोजक द्वारा आंकी जाएगी।

⁵[(4) प्रत्येक स्नातक या तकनीकी शिक्षा या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षा को, जिसने अपना शिक्षुता प्रशिक्षण संबंधित प्रादेशिक बोर्ड के समाधानप्रद रूप में पूरा कर लिया है, उस बोर्ड द्वारा एक प्रवीणता प्रमाणपत्र दिया जाएगा।]

22. नियोजन का प्रस्थापना और प्रतिप्रष्ठण—(1) न तो नियोजक इसके लिए आध्य होगा कि वह उस शिक्षा को, जिसने उसके स्थापन में शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि पूरी कर ली है, कोई नियोजन देने की प्रस्थापना करे, और न शिक्षा इसके लिए आध्य होगा कि वह उस नियोजक के अधीन नियोजन प्रतिपूर्वीत करे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ शिक्षुता-संविदा में यद शर्त हो कि शिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त कर लेने के पश्चात नियोजक की सेवा करेगा, वहाँ ऐसा समाप्ति पर नियोजक शिक्षा को संमुचित नियोजन देने की प्रस्थापना करने के लिए आवद होगा और शिक्षा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर, जो संविदा में विनिर्दिष्ट हो, उस हैसियत में नियोजक की सेवा करने के लिए आवद होगा:

परन्तु जहाँ कि ऐसी कालावधि या पारिश्रमिक शिक्षुता सलाहकार की राय में युक्तियुक्त नहीं है, वहाँ वह ऐसी कालावधि या पारिश्रमिक को ऐसे पुनरीक्षित कर सकेगा कि उसे युक्तियुक्त बना दे और इस प्रकार पुनरीक्षित कालावधि या पारिश्रमिक शिक्षा और नियोजक के बीच में तय पाई गई कालावधि और पारिश्रमिक समझे जाएंगे।

अध्याय 3

प्राधिकारी

23. प्राधिकारी—(1) सरकार के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्—

- (क) राष्ट्रीय परिषद्,
- (ख) केन्द्रीय शिक्षुता परिषद्,
- (ग) राज्य परिषद्,
- (घ) राज्य शिक्षुता परिषद्,
- ⁶[(ड) अखिल भारतीय परिषद्,
- (च) प्रादेशिक बोर्ड,
- (छ) राज्य तकनीकी शिक्षा परिषदें, या बोर्ड.]
- [(ज)] केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार, तथा
- [(झ)] राज्य शिक्षुता सलाहकार।

(2) हर राज्य परिषद् राष्ट्रीय परिषद् से संबद्ध होगी और हर राज्य शिक्षुता परिषद् केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से संबद्ध होगी।

⁶[(क) हर राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड और हर प्रादेशिक बोर्ड केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से संबद्ध होगा।]

1. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 16 द्वारा (1-12-1974 से) "उसने शिक्षुता पूरी की है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 16 द्वारा (1-12-1974 से) "शिक्षा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 16 द्वारा (1-12-1974 से) अन्तःस्थापित।

4. 1986 के अधिनियम सं. 41 की धारा 3 द्वारा (16-12-1987 से) अन्तःस्थापित।

5. 1986 के अधिनियम सं. 41 की धारा 6 द्वारा (16-12-1987 से) उपराना (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3—प्राधिकारी ।)

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से द्वारा एक इस अधिनियम के अधीन के शिक्षुता प्रशिक्षण के संबंध में उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या सरकार द्वारा समनुदित किए गए कृत्यों का पालन करेगा:

परन्तु राज्य परिषद् राष्ट्रीय परिषद् द्वारा उसे समनुदित किए गए कृत्यों का भी पालन करेगी और ¹[राज्य शिक्षुता परिषद् और राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् द्वारा उसे सौंपे गए कृत्यों का भी पालन करेगा।]

24. परिषदों का गठन—(1) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् की स्थापना शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी और राज्य सरकार राज्य शिक्षुता परिषद् की स्थापना शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी।

(2) केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् ²[एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष] इतनी संख्या के, जितनी केन्द्रीय सरकार समीचीन समझे, अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो निम्नलिखित कोटियों के व्यवित्तयों में से उस सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) पब्लिक और प्राइवेट सैक्टरों में के स्थापनों में के नियोजकों के प्रतिनिधि,

(ख) केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, 3***

(ग) ⁴[उद्योग, श्रम और तकनीकी शिक्षा] से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति, ⁴[तथा]

⁵[(घ) अखिल भारतीय परिषद् के और प्रावेशिक बोर्डों के प्रतिनिधि।]

(3) उन व्यक्तियों की संख्या, जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट हर एक कोटि में से केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के सदस्य नियुक्त किए जाने हैं, परिषद् के सदस्य की पदावधि, वह प्रक्रिया, जिसका अनुसरण उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में किया जाना है, और उनके पदों की रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।

(4) राज्य शिक्षुता परिषद् ⁴[एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष] और इतनी संख्या के, जितनी राज्य सरकार समीचीन समझे, अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो निम्नलिखित कोटियों के व्यवित्तयों में से उस सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) पब्लिक और प्राइवेट सैक्टरों में के स्थापनों में के नियोजकों के प्रतिनिधि,

(ख) केन्द्रीय सरकार के और उस राज्य सरकार के प्रतिनिधि, 3***

(ग) ⁴[उद्योग, श्रम और तकनीकी शिक्षा] से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति, ⁴[तथा]

⁵[(घ) राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् के और बोर्ड के प्रतिनिधि।]

(5) उन व्यक्तियों की संख्या, जो उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट हर एक कोटि में से राज्य शिक्षुता परिषद् के सदस्य नियुक्त किए जाने हैं, परिषद् के सदस्यों की पदावधि, वह प्रक्रिया, जिसका अनुसरण उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में किया जाना है, और उनके पदों की रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित करे।

(6) केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के ⁶[अध्यक्ष और उपाध्यक्ष] और अन्य सदस्यों को संदर्भ को जाने वाली फीसें और भत्ते, यदि कोई हों, ऐसे होंगे, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं तथा राज्य शिक्षुता परिषद् के ⁶[अध्यक्ष और उपाध्यक्ष] और अन्य सदस्यों को दी जाने वाली फीसें और भत्ते, यदि कोई हों, ऐसे होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

1. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 17 द्वारा (1-12-1974 से) अन्तःस्थापित।

2. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 18 द्वारा (1-12-1974 से) “एक अध्यक्ष” के रूपान पर प्रतिस्थापित।

3. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 18 द्वारा (1-12-1974 से) “तथा” शब्द का लोप किया गया।

4. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 18 द्वारा “उद्योग और श्रम” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3—प्राधिकारी ।)

25. कार्यों और कार्यवाहियों को रिवित्तयां अधिकारियां नहीं बनाएँगी—राज्य परिषद्, केन्द्रीय शिक्षा परिषद्, राज्य परिषद् या राज्य शिक्षा परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई कार्यवाही उस परिषद् में कोई रिवित्त या उसके गठन में कोई टूटि होने के आधार पर ही प्रश्नात् न की जाएगी।

26. शिक्षा सलाहकार—(1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति को राज्य शिक्षा सलाहकार नियुक्त करेगी।

(3) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार केन्द्रीय शिक्षा परिषद् का सचिव होगा और राज्य शिक्षा सलाहकार राज्य शिक्षा परिषद् का सचिव होगा।

27. उप और सहायक शिक्षा सलाहकार—(1) सरकार शिक्षा सलाहकार की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए ¹ [उपयुक्त व्यक्तियों को अपर शिक्षा सलाहकार, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, प्रादेशिक शिक्षा सलाहकार, उप-शिक्षा सलाहकार और सहायक शिक्षा सलाहकार नियुक्त कर सकेगी।]

(2) ² [हर अपर शिक्षा सलाहकार, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, प्रादेशिक शिक्षा सलाहकार, उप-शिक्षा सलाहकार या सहायक शिक्षा सलाहकार,] शिक्षा सलाहकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो शिक्षा सलाहकार द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं।

28. शिक्षा सलाहकारों का लोक सेवक होना—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हर शिक्षा सलाहकार और ³ [हर अपर शिक्षा सलाहकार, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, प्रादेशिक शिक्षा सलाहकार, उप-शिक्षा सलाहकार या सहायक शिक्षा सलाहकार] भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा।

29. प्रवेश, निरीक्षण आदि की शक्तियां—(1) इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए ⁴ [केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो परिवित में सहायक शिक्षा सलाहकार से कम न हो]—

(क) ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, किसी भी युक्तियुक्त समय पर किसी भी स्थान में या उसके भाग में प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) उसमें नियोजित किसी भी शिक्षा की परीक्षा कर सकेगा और इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए कोई रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और स्थान पर ही या अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति का ऐसा कथन ले सकेगा, जो वह इस अधिनियम के प्रयोगनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे;

(ग) ऐसी परीक्षा और जांच कर सकेगा जैसी वह इस बात का अभिनिश्चय करने के लिए ठीक समझे कि क्या इस अधिनियम के तथा तदधीन बनाए गए नियमों के उपराधियों का अनुपालन स्थापन में किया जा रहा है;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी विहित की जाए:

परन्तु ⁵ [राज्य शिक्षा सलाहकार या राज्य शिक्षा सलाहकार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जो परिवित में सहायक शिक्षा सलाहकार से कम न हो] इस उपधारा के खण्डों (क), (ख), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से किसी का प्रयोग ऐसे स्थापनों के सम्बन्ध में कर सकेगा, जिनके लिए समुचित सरकार राज्य सरकार है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या कोई ऐसा कथन करने के लिए, जिसकी प्रवृत्ति उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपाराध में फँसाने की हो, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन विवश नहीं किया जाएगा।

1. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 19 द्वारा (1-12-1974 से) “उपयुक्त व्यक्तियों को उप-शिक्षा सलाहकार और सहायक शिक्षा सलाहकार नियुक्त कर सकेंगे” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 19 द्वारा (1-12-1974 से) “हर उप-शिक्षा सलाहकार या सहायक शिक्षा सलाहकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1973 के अधिनियम सं. 27 की धारा 20 द्वारा (1-12-1974 से) “हर उप-शिक्षा सलाहकार या सहायक शिक्षा सलाहकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3—प्राधिकारी ।)

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “काप्तनी” से कोई नियमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्याप्तियों का अन्य संगम आता है; तथा
- (ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

33. अपराधों का संज्ञान—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन के किसी अपराध का संज्ञान उसके ऐसे परिवाद पर, जो उस तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना अभियर्थित हो, छह मास के भीतर शिक्षुता¹ [या उप शिक्षुता सलाहकार और उससे ऊपर की पंक्ति के अधिकारी] सलाहकार द्वारा लिखित रूप में किया गया हो, करने के सिवाय न करेगा।

34. शवितयों का प्रत्यायोजन—समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शवित ऐसे विधयों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन, जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, यथा निम्नलिखित भी, प्रयोक्तव्य होगी—

- (क) जहाँ कि समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार हो, वहाँ केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्राधिकारी द्वारा भी या राज्य सरकार द्वारा भी या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्राधिकारी द्वारा भी जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए; तथा

- (ख) जहाँ कि समुचित सरकार राज्य सरकार हो वहाँ राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्राधिकारी द्वारा भी जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

35. निर्देशों का अर्थान्वयन—(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में या तदधीन बनाए गए नियमों में, शिक्षुता परिपद के प्रति निर्देश से, ऐसे स्थापन में के, जिसके सम्बन्ध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, किसी अभिहित व्यवसाय में, शिक्षुता-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में, केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार परिषद अभिप्रेत होगी, और ऐसे स्थापन में के, जिसके सम्बन्ध में समुचित सरकार, राज्य सरकार है, किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में राज्य शिक्षुता सलाहकार अभिप्रेत होगी।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में या तदधीन बनाए गए नियमों में शिक्षुता सलाहकार के—

- (क) प्रति निर्देश से ऐसे स्थापन में के, जिसके सम्बन्ध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार, और ऐसे स्थापन में के, जिसके सम्बन्ध में समुचित सरकार राज्य सरकार है, किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण के संबंध में राज्य शिक्षुता सलाहकार अभिप्रेत होगा;

- (ख) प्रति निर्देश के अन्तर्गत ² [अपर शिक्षुता सलाहकार, संयुक्त शिक्षुता सलाहकार, प्रादेशिक शिक्षुता सलाहकार, लपशिक्षुता सलाहकार या सामायक शिक्षुता सलाहकार] तथ समझा जाएगा जब वह धारा 27 के अधीन अपने को समनुदिष्ट शिक्षुता सलाहकार के कृत्यों का पालन कर रहा हो।

36. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परिचाण—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

37. नियम बनाने की शवित—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिए नियम, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम यह उपबन्ध कर सकेंगे कि ऐसे किसी नियम का उल्लंघन जुमनि से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, देढ़नीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब

(अध्याय 3—प्राधिकारी । अनुसूची ।)

वह सत्र में हो तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में [अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोंक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

38. [निरसन।] रिपीलिंग एंड अमेंटिंग एकट, 1964 (1964 का 52) की धारा 2 और अनुसूची । द्वारा निरसित।

अनुसूची—[शिक्षा अधिनियम, 1961 के अधीन के शिक्षाओं को लागू होने में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में उपन्तरण]—मुद्रित नहीं किया गया।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उद्योग में शिशुओं के प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए एक विधान लाने का प्रश्न लाघु समय से सरकार के विचाराधीन रहा है, उन विशेषज्ञ समितियों ने जिन्होंने ऐसे प्रश्न पर विचार किया था, ऐसे विधान की सिफारिश की है। यद्यपि, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में कुछ स्थापन व्यवस्थित आधार पर कुशल कर्मकारों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला रहा है, उद्योग ने साधारणतया अभी तक ऐसे कार्यक्रम को पूर्णरूप से आयोजित नहीं किए हैं। पंच वर्षीय योजना और देश के बढ़ वैमाने पर औद्योगिक विकास के संबंध में, कुशल शिल्पकारों की मांग बढ़ी है। सरकार ने विचार किया है कि शिशुओं का प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना और विशेषज्ञ निकायों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है। विधेयक इन उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आशयित है।

नई दिल्ली;
4 अगस्त, 1961

गुलजारी लाल नंदा